प्रारूप -II

मत्स्य निदेशालय

आफिसर्स हॉस्टल, ब्लॉक–ए, बेली रोड, बिहार, पटना

'आदेश'

मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 667 दिनांक दिनांक 05.05.2011 एवं कार्यालय आदेश संख्या– 749 दिनांक 22.05.2012 के द्वारा मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों को संविदा पर नियोजित किया गया था। उक्त आदेशों द्वारा नियोजित मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों की एक वर्ष की नियोजन अवधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप मत्स्य निदेशालय के आदेश संख्या 793 दिनांक 01.06.2012, आदेश संख्या 1299 दिनांक 02.08.2013 आदेश संख्या– 1398 दिनांक 09.09.2014, एवं आदेश सं0– 332 दिनांक 23.02.2016 एवं 339 दिनांक 20.03.2017 के द्वारा अगले एक और वर्ष के लिए नियोजन का विस्तार किया गया। उपरोक्त आदेशों द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों की अवधि समाप्त हो गई है। विभाग में मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों की कमी रहने एवं जनहित के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या – 8025 दिनांक 21.05.2013 के मार्गदर्शक सिद्धान्त के आलोक में मत्स्य निदेशालय, पटना के पत्रांक 637 दिनांक 25.04.2018 द्वारा निम्नांकित मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 03.05.2018 को पुर्ननियोजन हेतु नए सिरे से पुनः एकरारनामा किए जाने के उपरान्त स्तम्भ– 3 में अंकित कार्यालय में पूर्व से प्रतिमाह के नियत पारिश्रमिक भुगतान के आधार पर पदस्थापित किया जाता है:–

क्र0	नाम	जिला का नाम
1	2	3
1	श्री अविनाश कुमार	जिला मत्स्य कार्यालय, भागलपुर

2. संबंधित संविदा पर पुर्ननियोजित मत्स्य प्रसार पदाधिकारी आदेश निर्गत की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर अपने संबंधित नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष अपना योगदान देगें।
3. नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष योगदान की तिथि से उनका नियोजन आरंभ मानते हुए उन्हें निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान अनुमान्य होगा। अनुपस्थित अवधि के लिए पारिश्रमिक की समानुपातिक राशि काटकर ही शेष पारिश्रमिक भुगतेय होगा।
4. पारिश्रमिक का भुगतान उसी शीर्ष के अधीन मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के रिक्त पद के विरूद्ध उनका योगदान स्वीकृत करते हुए "संविदा सेवाएँ" विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा जिस शीर्ष में पूर्व में उनका योगदान स्वीकृत किया गया है।
5. यह नियोजन, आदेश निर्गत की तिथि से एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक दोनों में से जो पहले हो, तक के लिए किया गया है। उक्त तिथि के पश्चात् अन्यथा कोई निदेश जारी नहीं होने की दशा में, नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा।
6. उपर्युक्त आदेश में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/ 14/6

निदेशक मत्स्य

बिहार, पटना।

D:\Pen Drive\OFFICE\Appointment\FEO&FES 2010\FEO\Exti 2018.Doc

ज्ञापांक/म0/विविध पत्रा0–27/2010.(खंड)......812....../
प्रतिलिपि– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। दिनांक...14/06/18

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

ज्ञापांक/म0/विविध पत्रा0–27/2010(खंड)......812....../
दिनांक....14/6/18
प्रतिलिपि– जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

ज्ञापांक/म0/विविध पत्रा0–27/2010(खंड)......812....../
दिनांक.....14/6/18
प्रतिलिपि– संबंधित मत्स्य प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

ज्ञापांक/म0/विविध पत्रा0–27/2010(खंड)......812....../
दिनांक...14/6/18
प्रतिलिपि– संयुक्त मत्स्य निदेशक, सभी, /उप मत्स्य निदेशक सभी/ निदेशालय के सभी पदाधिकारियों एवं सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना

ज्ञापांक/म0/विविध पत्रा0–27/2010(खंड)......812....../
दिनांक..14/6/18
प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना को प्रेषित एवं अनुरोध है कि इसे विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने की कार्रवाई किया जाय।

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

D:\Pen Drive\OFFICE\Appointment\FEO&FES 2010\FEO\Exti 2018.Doc